

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना-पत्र सं. 01/2013

प्रार्थी

1. श्रीमती शांतिबाई पुत्र श्री हिम्मतसिंह पत्नि श्री मालमसिंह जाति राव निवासी मणधर, तहसील भीनमाल जिला सिरौही जरिए मुख्तियार आम नाथूसिंह पुत्र श्री हिम्मतसिंह जाति राव निवासी कारोली तहसील आबूरोड जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्रीमती नर्बदा बेवा पत्नि श्री जामतसिंह जाति राव निवासी कारोली गोरिया तहसील आबूरोड जिला सिरौही।
2. श्री हीरसिंह पुत्र श्री जामतसिंह जाति राव निवासी कारोली गोरिया तहसील आबूरोड जिला सिरौही।
3. श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री जामतसिंह जाति राव निवासी कारोली गोरिया तहसील आबूरोड जिला सिरौही।
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार आबूरोड जिला सिरौही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :-

1. श्री दिनेश कुमार सुराणा अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री नगेन्द्र मेडतिया अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 10.12.2021



संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि गौजा कारोली पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड के खसरा नं. 524/247 रकबा 05 बीघा किस्म भूमि नहरी आई हुई है जो उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा अप्रार्थी के नाम आवंटन की गई है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

जिला कलक्टर, सिरौही



दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि मौजा कारोली, पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड़ के खसरा नं. 524/247 रकबा 05 बीघा किस्म भूमि नहरी आई हुई है। यह है कि प्रार्थिया व उसके भाई एवं माता से सिलिंग अधिनियम के अन्तर्गत भूमि की अवाप्ति प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के न्यायालय से हुई एवं प्रार्थिया के खाते से अवाप्त की गई भूमि का आवंटन श्री सुल्तानसिंह, श्री प्रतापसिंह, श्री वागसिंह एवं श्री जामतसिंह के नाम से कर दिया, जो आपस में एक ही कुटुम्ब के भाई है। यह है कि प्रार्थिया के पिता से जो कृषि भूमि प्रार्थिया, उसके भाई व माता ने प्राप्त की थी, में से जो भूमि कब्जेराज ली गई थी, का क्षेत्रफल गलती से अधिक निर्धारित होने से प्रार्थिया व उसके भाई नाथूसिंह ने उपखण्ड अधिकारी न्यायालय आबूपर्वत में कार्यवाही प्रस्तुत कर रखी है। यह है कि उक्त भूमि का आवंटन श्री जामतसिंह राव के नाम से दिनांक 25.11.1976 को किया गया था। यह है कि आवंटी जामतसिंह के पास आवंटन के समय 05 बीघा नहरी भूमि थी, जिससे श्री जामतसिंह विवादित भूमि के आवंटन के समय भूमिहीन कृषक नहीं था एवं वह कृषि भूमि के आवंटन की पात्रता नहीं रखता था। यह है कि सिलिंग कानून में प्रार्थिया से उसकी भूमि जो अधिग्रहण की गई थी, जो नहरी दो फसली भूमि है, जिससे आवंटी के पास पहले से 12 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि कब्जे काश्त व खातेदारी में होने से वह भूमि को आवंटन कराने का अधिकारी नहीं था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे। इस संबंध में इनके द्वारा विधिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1990 पेज 570, आर.आर.डी. 1987 पेज 431, आर. आर.डी. 1995 पेज 264, आर.आर.टी. 2014 पार्ट प्रथम पेज 597 आर.आर.टी. 2015 पार्ट द्वितीय पेज 790 एवं आर.आर.टी. 2021 पार्ट द्वितीय पेज 1026 पेश किए।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि विवादित भूमि ग्राम कारोली में आई हुई है मौजा कारोली, पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड़ के खसरा नं. 524/247 रकबा 05 बीघा किस्म भूमि नहरी आई हुई, जिसे अप्रार्थी द्वारा काविल काश्त बनाया गया। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश के द्वारा अप्रार्थी स्व. श्री जामतसिंह राव को आवंटन किया गया था, जो राजस्थान उपनिवेश (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन) नियम 1968 के तहत किया गया था एवं कब्जा सुपूर्द किया गया था। आवंटन शर्तों की पालना करने से अप्रार्थी के पिता को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। इसके उपरान्त भी केवल अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के आशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना-पत्र मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर लम्बी अवधि निकलने के बाद प्रस्तुत किया गया है जो कतई परिपोषणिय नहीं है। प्रार्थी द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी पुस्तेनी रूप से सदभावी कृषक है, एवं उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर अपने एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता है इस सम्बन्ध में उनके द्वारा विधित दृष्टांत 2016 आरबीजे पेज 603 कमला व अन्य बनाम रामसहाय व अन्य, 2016 आरबीजे पेज 418 रामकरण बनाम सरकार, 2014 आरबीजे पेज 685 मंगला व अन्य बनाम सरकार, 2011 आरबीजे पेज 685 लक्ष्मीनारायण बनाम सरकार, 2009 आरबीजे पेज 201 नगेन्द्रलाल बनाम धीरूजी, 2008 आरबीजे पेज 435 प्यारेलाल बनाम राजाराम एवं 2016 आरबीजे पेज 102 राजस्थान सरकार बनाम श्रीमती जसोदा, आरआरटी 2008(2) पेज 834 आरबीजे 2001 पेज

जिला कलेक्टर, सिरोही

125. शंकरलाल बनाम सरकार, 1996 पेज 287 राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बनाम सरदारसिंह, 2001 पेज 593 बदरी बाई बनाम राजाराम, आरआरडी 1999 पेज 128 दलपतसिंह बनाम राजस्व मण्डल, आरआरटी 2007(2) पेज 1240 सूरजमल बनाम सरकार, पेज 1430 राजस्थान सरकार बनाम भंवरलाल, डीएनजे (राज.) 1997 पेज 632 गोपीराम बनाम सरकार, एआईआर(एस.सी) 1994 पेज 1128 बृजलाल बनाम राजस्व मण्डल, आरआरटी 2004 पेज 352 परसु बनाम राजस्थान सरकार, 2007 पेज 18 मोहम्मद खान बनाम बृजलाल एवं 2006 पेज 424 राम खिलाडी बनाम दौलतराम प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त विधिक दृष्टांतों में विलम्ब से प्रस्तुत, खातेदारी अधिकार देने के बाद आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे ।

मैंने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलिभांति अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि मौजा कारोली, पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड़ के खसरा नं. 524/247 रकबा 05 बीघा किस्म भूमि नहरी आई हुई है, जिसमें अप्रार्थी को आवंटन किया था। आवंटन नियमों की शर्तों की पालना करने पर ही उसे खातेदारी प्रदान की गई है। उक्त आवंटन हुए काफी समय हो चुका है। दस वर्ष पश्चात गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तों की पालना करने पर प्रदत्त कर दिये गये हैं। किसी के खातेदारी अधिकारों को निरस्त करने के प्रावधान राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त है।


राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन निरस्त नहीं करने का सिद्धान्त माननीय राजस्व मण्डल, राज. अजमेर द्वारा आरआरडी 1986 पेज 137 (एकल पीठ) आरआरडी 1987 पेज 371 (वृहद पीठ) एवं 359(एकल पीठ), आरआरडी 1999 पेज 128 (माननीय उच्च न्यायालय) द्वारा प्रतिपादित किया गया है अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधित दृष्टांत आरआरटी 2008(2) पेज 834 आरबीजे 2001 पेज 125, शंकरलाल बनाम सरकार, 1996 पेज 287 राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बनाम सरदारसिंह, 2001 पेज 593 बदरी बाई बनाम राजाराम, आरआरडी 1999 पेज 128 दलपतसिंह बनाम राजस्व मण्डल, आरआरटी 2007(2) पेज 1240 सूरजमल बनाम सरकार, पेज 1430 राजस्थान सरकार बनाम भंवरलाल, डीएनजे (राज.) 1997 पेज 632 गोपीराम बनाम सरकार, एआईआर(एस.सी) 1994 पेज 1128 बृजलाल बनाम राजस्व मण्डल, आरआरटी 2004 पेज 352 परसु बनाम राजस्थान सरकार, 2007 पेज 18 मोहम्मद खान बनाम बृजलाल एवं 2006 पेज 424 राम खिलाडी बनाम दौलतराम प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त विधिक दृष्टांतों में विलम्ब से प्रस्तुत एवं खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के बाद प्रस्तुत आवंटन निरस्त के प्रकरण खारिज किये गये हैं। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत पर मनन किया, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एआईआर 1994 पेज 1128, आरबीजे 1995 पेज 1780 में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आवंटन को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं एवं आवंटन नियमों के विरुद्ध नहीं कराया गया है तो खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। आरआरडी 2001 पेज 128 एवं आरबीजे 2006 पेज 216 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आवंटन के 30 साल बाद नियम 14(4) के तहत प्रार्थना-पत्र देरी से

जिला कलेक्टर, तिरुनेलवेली

प्रस्तुत करने का समुचित कारण नहीं बताया गया एवं 10 साल की अवधि के बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तो राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र परिपोषणिय नहीं कहा जा सकता। उक्त विचारणीय प्रकरण में आवंटन निरस्त करना ट्रवस्टी आफ जस्टिस होगा। यह है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है जबकि आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन) नियम 1968 के तहत हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का कोई उचित कारण नहीं पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1990 पेज 570, आर.आर.डी. 1987 पेज 431, आर.आर.डी. 1995 पेज 264, आर.आर.टी. 2014 पार्ट प्रथम पेज 597 आर.आर.टी. 2015 पार्ट द्वितीय पेज 790 एवं आर.आर.टी. 2021 पार्ट द्वितीय पेज 1026, 2016 आरबीजे पेज 603 कमला व अन्य बनाम रामसहाय व अन्य, 2016 आरबीजे पेज 418 रामकरण बनाम सरकार, 2014 आरबीजे पेज 685 मंगला व अन्य बनाम सरकार, 2011 आरबीजे पेज 685 लक्ष्मीनारायण बनाम सरकार, 2009 आरबीजे पेज 201 नगेन्द्रलाल बनाम धीरूजी, 2008 आरबीजे पेज 435 प्यारेलाल बनाम राजाराम एवं 2016 आरबीजे पेज 102 राजस्थान सरकार बनाम श्रीमती जसोदा का अवलोकन करने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।




(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही